# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

**अपील संख्या :– 05/2012 (75 एल0आर0एक्ट0)**

**उनवान**

1. किशन पुत्र श्री रामजीलाल जाति धाकड निवासी वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये पैरोकार सरकार।
2. नगर पालिका वैर तामील जरिये अधिशाषी अधिकारी वैर जिला भरतपुर।
3. तोताराम उर्फ तोती पुत्र श्री बिहारीलाल जाति धाकड निवासी वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.09.2011 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर, से आराजी खसरा नम्बर 2482 को सार्वजनिक रास्ता हेतु आरक्षित करने बाबत्।

उपस्थित :–
1. श्री अर्जुन सिंह एडवोकेट अपीलाण्ट।
2. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी एडवोकेट रेस्पोडेण्ट।
3. श्री मोहन सिंह राणा राजकीय अभिभाषक।

**निर्णय** **दिनांक :–03.11.2017**

1. यह अपील इस न्यायालय में अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 09.09.2011 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से एक सिविल सूट बाबत् आराजी खसरा नम्बर 2482 रकवा 03 बीघा 08 विस्वा के सम्बन्ध में न्यायालय अपर मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित खसरा नम्बर 2482 रकवा 03 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम कोटा पट्टी वैर खसरा नम्बर 2480 एवं 2481 में मिला हुआ है, अलग से मौके पर नम्बर नहीं है, जिसमें अपीलाण्ट/प्रार्थीगण का बाग लगा हुआ है। रैस्पो0/अप्रार्थी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी तहसील बाउण्ड्री के बाहर, आवेदन लेखकों के बैठने के लिये टीनपोश का निर्माण कर, अपीलाण्ट/प्रार्थी के बाग को बर्बाद करना चाहते हैं। अदालत श्रीमान् अपर मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक वैर ने दिनांक 11.05.1994 को अपीलाण्ट/प्राथी के हक में दावा डिक्री कर रैस्पो0/अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया कि अपीलाण्ट/प्रार्थी के आधिपत्य में आराजी में कोई निर्माण कार्य ना करें एवं किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने राज्य सरकार के विरूद्ध, सहायक कलक्टर वैर में उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक इस्तकरार हक का दावा भी पेश किया, जो सहायक कलक्टर वैर ने दिनांक 25.04.2001 से खारिज कर दिया। अपीलाण्ट /प्रार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 24.04.2001 को अपील के माध्यम से चुनौती दी एवं न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक

25.04.2001 को निरस्त करते हुए, प्रकरण आवण्टन सलाहकार समिति को नियमन की जॉच बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। इसके बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2011 के माध्यम से खसरा नम्बर 2482 को रास्ते के लिये सैटअपार्ट कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी, अपीलाण्ट/प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी पक्षकार नहीं था। हल्का पटवारी द्वारा विवादित भूमि को खाली करने की धमकी देने पर, अपीलाण्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो पायी। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 09.09.2011 से उनके हित प्रभावित होते हैं। अतः धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट/प्रार्थी की अपील, धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं पर गौर ना करके दस्तावेजी तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व, किसी भी अधिकारी से मौका निरीक्षण नहीं करवाया तथा अपीलाण्ट/प्रार्थी को कोई सुनवाई का मौका दिये बिना, मनमानी तरीके से कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी बाबत् कोई जानकारी नहीं ली तथा मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा एवं ना ही आज उपलब्ध है। मौके पर अपीलाण्ट/प्रार्थी के नीबू, आम, शीशम, लिशौडे आदि के पेड लगे हुये हैं एवं इन पेडो के फलों को बेचकर अपीलाण्ट/प्रार्थी अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित भूखण्ड अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 2480 एवं 2481 में सम्मिलित है एवं मौके पर अलग से नम्बर नहीं है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के आधिपत्य मे है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2011 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 एवं राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर का आदेश दिनांक 09.09.2011 विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी पर पक्का रास्ता (सी0सी0) बन चुका है। अपीलाण्ट/प्रार्थी का विवादित भूमि से कोई संबंध सारोकार नहीं है, विवादित आराजी खसरा नम्बर 2480 व 2481 से विवादित आराजी लगी होने के कारण खातेदारी अधिकार नहीं मिलते हैं। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट का यह कथन कि राजस्थान सरकार के विरूद्ध डिक्री हुक्म ईम्तनाई दवामी वाद संख्या 234/03 मुंसिफ वैर के न्यायालय में पेश किया था, जो अपीलाण्ट के पक्ष में डिक्री हो चुका है, अतार्किक एवं असत्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विधि अनुसार मात्र कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अपीलाण्ट/प्रार्थी स्वयं विवादित भूमि पर रास्ता होना स्वीकार करते हैं। अपने तर्को के समर्थन में माननीय

न्यायालय ए0डी0जे0 संख्या 02 बयाना में विचाराधीन अपील संख्या 02/09, आदेशिका अपील एवं नगर पालिका द्वारा विवादित भूमि पर बनाई गई सडक(सी0सी0) के भुगतान की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि विवादित आराजी में मौके पर आज तक कोई रास्ता नहीं है। विवादित भूखण्ड, अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 2480 एवं 2481 में सम्मिलित है एवं अपीलाण्ट के आधिपत्य में है। सिविल कोर्ट द्वारा आदेश दिनांक 11.05.1994 से अपीलाण्ट के हक में दावा डिक्री कर दिया है एवं उक्त आदेश आज भी अस्तित्व में है। हमने सिविल कोर्ट आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आदेश में तहसील भवन की बाउण्ड्री के सन्दर्भ में अंकित है कि " चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही गवाहान से जिरह हो पाई है। अतः वादी के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है" अतः सिविल कोर्ट द्वारा वादी का दावा डिक्री किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करते हुए, वादी के आधिपत्यशुदा आराजी नम्बर 2482 में हस्तक्षेप नहीं करने एवं ना ही उसमें कोई निर्माण कार्य करने की आदेश दिया। परन्तु उक्त आदेश दिनांक 11.05.1994 की अपील, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, बयाना में, रैस्पो0 द्वारा की गयी एवं आदेश दिनांक 06.05.2009 से निर्णय दिनांक 11.05.1994 की अनुपालना व इजराय की कार्यवाही स्थगित की जाकर, प्रकरण आज भी विचाराधीन है, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 09.11.2017 नियत है, जो रैस्पो0 द्वारा वक्त बहस, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से जाहिर होता है। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि आदेश दिनांक 11.05.1994 आज भी अस्तित्व में है, सही नहीं है। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा सडक निर्माण कार्य से सम्बन्धित, भुगतान की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से भी, विवादित आराजी में पक्की सडक (सी0सी0) का निर्माण होना स्पष्ट होता है। कथित सडक निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन का महत्वपूर्ण कार्य है, इसे अकारण बाधित करना कतई वांछनीय नही है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट/प्रार्थी, विवादित भूमि पर, स्वयं का केवल आधिपत्य बताता है, कब्जा नहीं। इसमें विस्तृत स्वत्व अधिकार भी शामिल हैं। अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, वैर में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0 का पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2001 से खारिज हो चुका है, उक्त निर्णय अपीलाण्ट के आधिपत्य का, अभाव दर्शाता है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 09.09.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

8. निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर